मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 1906–5 जी.एस. 1–77/9712 दिनांक 8 अप्रैल, 1977 की प्रति।

विषयः— स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 4900–5 जी.एस. 1–75/25078, दिनांक 13 अगस्त, 1975 में जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं और कहूं कि सरकार ने इस मामले पर विचार करके यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इन हिदायतों में ढील देकर स्थानान्तरण किए जा सकते हैं। इस अवधि में नियुक्त प्राधिकारी किसी भी सरकारी कर्मचारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं। केवल श्रेणी I के अधिकारी को स्थानान्तरित कर ने लिए मुख्य मंत्री महोदय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। 30 अप्रैल के बाद उपरोक्त 13 अगस्त, 1975 की हिदायतें पुनः लागू हो जाएंगी।

2. इस बात पर जोर दिया जाना आवश्यक है कि स्थानान्तरण बहुत कम और नितान्त आवश्यक हालात में ही किए जाने चाहिएं तथा इनकी संख्या सीमित रखी जानी चाहिए।

भवदीय,

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाण सरकार।

एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को भेजी जाती है। वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।